न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी –डॉ0 सौम्या झा

आई०ए०एस०

राजस्व अपील 24 / 2026

पहाडिया माईन्स एवं मिनरल्स प्रा० लि० जरिए प्रोपराईटर व मालिक राजल पहाडिया पुत्र राजेन्द्र पहाडिया जाति पहाडिया निवासी ब्यावर राज०

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील कुण्डल जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्र निर्णय व आदेश नायब तहसीलदार कुण्डल दिनांक 11.7.2025 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम पहाडिया माईन्स एवं मिनरल्स प्रा० लि० मुकदमा नंबर 10 / 2025 धारा 91 लेण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित– 1. श्री जगजीवन राम, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. .श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय — दिनांक 26.5.2026

1. संक्षिप्त विवरण अपील का इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार कुंडल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2025 जो कि मु0नं0 10 / 2025 उनवानी सरकार बनाम पहाडिया माईन्स एवं मिनरल्स प्रा० लि० से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 की तलबी की गई। तहसीलदार कुण्डल से मूल अभिलेख मंगवाया गया।
3. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया किपटवारी हल्का सिण्डोली द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ग्राम तलावडा में खसरा नंबर 1979 रकबा 7.37 है0 में से 0.50 गै०मु० चरागाह में बजरी छानने व धोने का सामान डालकर अतिक्रमण कर लिया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये जिसमें अपीलान्ट की तामिल नहीं हुई तथा नोटिस पर मुनीम की तामिल बताई गई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट की न तो विधिवत असालतन तामिल हुई इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा में निर्णय पारित कर दिया व 450 रूपये की पैनल्टी व बेदखली के आदेश पारित कर दिये। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय हैं। अपीलान्ट की किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण ही नही किया पटवारी हल्का ने कतई गलत व असत्य रिपोर्ट पेश की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल ही नहीं हुई तथा नोटिस पर किसी मुनीम की तामिल बताकर निर्णय पारित किया है जो कतई अवैधानिक है। तथा इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल ही नही हुई इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि पीडित पक्ष को पुर्ण सुनवाई जवाब व सबूत का मौका देकर ही कोई निर्णय पारित करना चाहिए। इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण प्रथम स्तर पर ही निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायाल ने रिपोर्ट कूनिन्दा पटवारी हल्का के बयान तक नहीं लिये और न ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रदर्शित हुई है। तथा बिना प्रदर्शित हुये व बिना पटवारी के बयान लिये ही निर्णय पारित किया है जो कानून विरूद्ध होने के कारण प्रथम स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने कोई सामान चरागाह भूमि में नहीं डाला बल्कि पटवारी ने गलत रिपोर्ट

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पेश की है जो निरस्त किये जाने योग्य है।अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ नायब तहसीलदार कुण्डल दिनांक 11.7.2025 निरस्त फरमाने की कृपा करे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त कुण्डल से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

5. अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, अपील, मियाद संबंधी प्रार्थना–पत्र तथा अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख देखा गया।

- अपीलार्थी द्वारा मुख्यतः यह आपत्ति की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय में उसकी विधिवत तामील नहीं हुई तथा उसे जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना दिनांक 11.07.2025 को एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा यह भी कहा गया है कि ग्राम तलावड़ा के खसरा संख्या 1979 में 0.50 हैक्टेयर भूमि पर उसका कोई अतिक्रमण नहीं है।

- अधीनस्थ अभिलेख से प्रकट है कि पटवारी हल्का सिण्डोली की रिपोर्ट पर ग्राम तलावड़ा के खसरा संख्या 1979, कुल रकबा 7.37 हैक्टेयर में से 0.50 हैक्टेयर गैर मुमकिन/चरागाह भूमि पर बजरी छानने/धोने का सामान रखकर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.2025 को नोटिस जारी कर प्रकरण दिनांक 03.06.2025 को नियत किया गया। आदेश–पत्रिका से यह भी प्रकट है कि दिनांक 03.06.2025 एवं 23.06.2025 को पीठासीन अधिकारी के व्यस्त/उपलब्ध न रहने से पत्रावली स्थगित हुई तथा दिनांक 11.07.2025 को गैर–सायल की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया।

- अपीलार्थी की मुख्य आपत्ति तामील के संबंध में है। इस संबंध में अधीनस्थ अभिलेख पर उपलब्ध तामील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तामील रिपोर्ट में नोटिस की प्रति रामावतार माली, मुनीम को प्राप्त होना अंकित है तथा उसका नाम एवं मोबाइल नंबर 7976388318 भी अंकित है। अपीलार्थी द्वारा केवल यह कथन किया गया है कि उक्त व्यक्ति उससे संबंधित/अधिकृत नहीं था, किन्तु इस कथन के समर्थन में कोई स्वतंत्र दस्तावेज, शपथ–पत्र, कर्मचारी अभिलेख, स्थल संबंधी रिकार्ड या रामावतार का कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- धारा 91 की कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है। जब अतिक्रमण स्थल/व्यवसाय से संबंधित मुनीम/प्रतिनिधि को नोटिस प्राप्त होना अभिलेख से प्रकट हो और उसके नाम व मोबाइल नंबर सहित तामील रिपोर्ट उपलब्ध हो, तब अपीलार्थी का मात्र मौखिक/सामान्य इंकार तामील को अवैध सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी पर यह भार था कि वह यह प्रमाणित करता कि रामावतार माली उसका मुनीम/प्रतिनिधि नहीं था अथवा उसे नोटिस प्राप्त करने का कोई संबंध/अधिकार नहीं था। ऐसा कोई संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः तामील संबंधी आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

- गुण–दोष पर भी अधीनस्थ अभिलेख में पटवारी हल्का की रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसमें प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण का उल्लेख किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर कोई जवाब, प्रतिवाद, राजस्व अभिलेख, सीमाज्ञान, नक्शा, फोटो या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया जिससे पटवारी रिपोर्ट का खंडन हो सके। अपील में भी मात्र अतिक्रमण से इंकार किया गया है, किन्तु कोई ऐसा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष को गलत माना जा सके।

- अपीलार्थी का यह कथन कि आदेश की जानकारी उसे दिनांक 15.03.2026 को हुई, तामील रिपोर्ट और आदेश–पत्रिका के प्रकाश में विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। नोटिस की तामील पर्याप्त रूप से सिद्ध होने पर अपीलार्थी द्वारा देरी का संतोषजनक कारण भी सिद्ध नहीं किया गया है।

- अतः मियाद संबंधी प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। साथ ही, गुण–दोष पर भी अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई ऐसी अवैधता, तथ्यगत त्रुटि या प्रक्रिया संबंधी दोष सिद्ध नहीं कर पाया है जिसके आधार पर आदेश दिनांक 11.07.2025 में हस्तक्षेप किया जावे।

6. फलस्वरूप, अपीलार्थी की मियाद संबंधी प्रार्थना–पत्र एवं अपील, दोनों अस्वीकार किये जाते हैं। नायब तहसीलदार, कुण्डल द्वारा प्रकरण संख्या 10/2025 में धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 11.07.2025 यथावत रखा जाता है। यदि इस न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम स्थगन/रोक आदेश पारित किया गया हो तो वह निरस्त माना जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय नियमानुसार आदेश की पालना सुनिश्चित करे। अधीनस्थ अभिलेख मय प्रति आदेश तत्काल वापस भेजा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 25 मई, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियम समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official